न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/76

1. श्रीमती सरोज कंवर बाई विधवा पत्नी श्री सज्जनसिंह जाति राजपूत हाल निवासी फ्लेट नम्बर बी–103 ओम एन्क्लेव झालावाडा रोड, कोटा ।
2. श्रीमती राजेश पुत्री श्री सज्जन सिंह धर्म पत्नी श्री महावीर सिंह जी सोलंकी जाति राजपूत निवासी ग्राम डाकिया तहसील व जिला टोंक ।
3. श्रीमती बीनू पुत्री श्री सज्जन सिंह धर्म पत्नी नन्दसिंह जी सिसोदिया जाति राजपूत निवासी ग्राम आवंली रोझडी नया गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. श्रीमती कल्पना पुत्री श्री सज्जन सिंह जी धर्मपत्नी श्री राजेश निवासी फ्लेट नम्बर बी–103 ओम एन्क्लेव झालावाड रोड, कोटा ।

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहीसलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन नियम, 1968 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मूण्डघसा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 637 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 639 की रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि दिनांक

19.06.1976 को सज्जनसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवीस मूण्डघसा को आवंटित की गई थी । लेकिन आवंटी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । उक्त भूमि अप्रार्थी को कीमतन आवंटित की गई थी परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की राशि जमा नहीं करवायी गई है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः सज्जन सिंह के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 19.06.1976 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2016 से व्यथित होकर आवंटी सज्जन सिंह के कायममुकामान अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन नियमों के तहत उपखण्ड अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है । आवंटन नियम 17 (ए) के तहत उक्त कार्यवाही सिर्फ जिला कलक्टर द्वारा ही की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक सज्जन सिंह जी के खिलाफ कार्यवाही कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । श्री सज्जनसिंह का दिनांक 22.10.2014 को ही देहावसान हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही कर आदेश पारित किया है । मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश अवैध एवं शून्य होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को कार्यवाही में पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट क्रम 01 दिनांक 19.01.2017 को जब अपने पांतीदार श्री बाबू एवं रंगलाल से पांती की राशि प्राप्त करने के लिए गॉव गई और उनसे पांती की राशि मांगी तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा आवंटन निरस्त हो गया है । अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त कर दिनांक 20.01.2017 को अपने दामाद के साथ उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के कार्यालय में जाकर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.01.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन नियमों के तहत उपखण्ड अधिकारी को आवंटन निरस्त करने

का अधिकार नहीं है । 17 (ए) के तहत जिला कलक्टर महोदय के द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है । श्री सज्जन सिंह जी की दिनांक 22.10.2014 को ही मृत्यु हो चुकी थी । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है । वादग्रस्त आराजी सज्जनसिंह को आवंटित की गई थी । श्री सज्जनसिंह भारतीय सेना में सैनिक थे और सेना में रहते हुए उनके पैर में गोली लगी थी इस कारण उन्होंने आवंटित आराजी पांती काश्त पर दी थी । अपीलान्टगण सज्जनसिंह के विधिक वारिस हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन 40 वर्ष पूर्व हुआ था । अपीलान्ट कानूनन इसके खातेदार हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सज्जनसिंह की तामील बाबत् जो नोटिस संलग्न है उसमें नोटिस दिनांक 04.03.2016 में यह अंकित किया गया है कि सज्जनसिंह ग्राम मूण्डघसा में नहीं रहते हैं बून्दी में रहते हैं और दूसरी तामील दिनांक 12.04.2016 में चस्पानगी द्वारा तामील किया जाना अंकित है जबकि इससे पूर्व ही सज्जनसिंह की मृत्यु हो चुकी थी । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) (एससी) पेज 1047, डीएनजे 2013 (3) (राज0) पेज 987 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा नहीं है इस बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, हिण्डोली ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन नियम, 1968 पेश कर कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी श्री सज्जनसिंह को दिनांक 19.06.1976 को आवंटित हुई थी, आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है, आवंटन की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति और नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी श्री सज्जन सिंह के गैर खातेदारी में दर्ज है । खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति संवत् 2071 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काश्त किया जाना अंकित है । पत्रावली पर सज्जन सिंह की तामील के लिए जो नाटिस जारी किये गये हैं उसमें दिनांक 12.04.2016 के नोटिस के पृष्ठ भाग में मकान पर चस्पानगी से तामील किया जाना अंकित है जबकि अपील में अपीलान्ट के द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है उसके अनुसार सज्जन सिंह की मृत्यु दिनांक 22.10.2014 को हो चुकी है । इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है । विद्वान् अभिभाषक

अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीरें आरआरटी 2017 (2) (एससी) पेज 1047, डीएनजे 2013 (3) (राज0) पेज 987 यहॉ चस्पा होती हैं । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण जो कि मृतक सज्जन सिंह के विधिक वारिसान हैं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा